26

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2022-2023)

सत्रहवीं लोक सभा

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

{'उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की 'गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ (क्यूसीसी)'विषय से संबंधित समिति के बीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई}

छब्बीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2023/ चैत्र, 1945 (शक)

छब्बीसवां प्रतिवेदन

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2022-2023)

सत्रहवीं लोक सभा

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

{उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की 'गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ (क्यूसीसी)' विषय से संबंधित समिति के बीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई}

24.3.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया ।

24.3.2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया ।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2023/ चैत्र, 1945 (**शक**)

<u>विषय सूची</u>

समिति की संरचना..		iv
प्राक्कथन...		v
अध्याय-एक	प्रतिवेदन..	1
अध्याय- दो	सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है	4
अध्याय- तीन	सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती है.........................	12
अध्याय-चार	सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं	13
अध्याय- पांच	सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं..	14

<u>परिशिष्ट</u>

(I)	समिति की 23 मार्च, 2023 को हुई ग्यारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश ।	16
(II)	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के बीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण।	18

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) की संरचना

श्रीमती लॉकेट चटर्जी- **सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. डॉ. फारूख अब्दुल्ला
3. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
4. श्री गिरीश भालचन्द्र बापट
5. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
6. श्री गंगासांद्र सिडप्पा बसवराज
7. सुश्री देबश्री चौधरी
8. श्री अनिल फिरोजिया
9. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित
10. श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा
11. श्री खगेन मुर्मु
12. श्री मितेष रमेशभाई पटेल
13. श्री सुब्रत पाठक
14. श्री गणेशन सेल्वम
15. डॉ. अमर सिंह
16. श्रीमती हिमाद्री सिंह
17. श्रीमती कविता सिंह
18. श्री नंदीगम सुरेश
19. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
20. श्री राजमोहन उन्नीथन
21. श्री वी. वैथिलिंगम

राज्य सभा

22. श्री सतीश चंद्र दुबे
23. डॉ. फौजिया खान
24. श्री बाबू राम निषाद
25. श्री राजमणि पटेल
26. श्री सकलदीप राजभर
27. डॉ. अंबुमणि रामादास
28. श्री सी. वी. षनमुगम
29. श्री हरभजन सिंह
30. सुश्री दोला सेन
31. डॉ. अशोक बाजपेयी

लोक सभा सचिवालय

1. श्री श्रीनिवासुलु गुंडा - संयुक्त सचिव
2. डॉ. वत्सला जोशी - निदेशक
3. डॉ. मोहित राजन - उप सचिव
4. श्रीमती दर्शना गुलाटी खंडुजा - अवर सचिव

प्राक्कथन

मैं, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) की सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित 'गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ (क्सूसीसी)' विषय पर समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी छब्बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ।

2. बीसवां प्रतिवेदन 19.07.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और 07.04.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया था । सरकार ने प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई टिप्पण दर्शाने वाले उत्तर 19.10.2022 और 25.10.2022 को भेजे।

3. समिति ने 23 मार्च, 2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया ।

4. समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण **अनुबंध-दो** में दिया गया है ।

5. संदर्भ की सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के मुख्य भाग में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है ।

नई दिल्ली;
23 मार्च, 2023
2 चैत्र,1945(शक)

लॉकेट चटर्जी
सभापति
उपभोक्ता मामले, खाद्य और
सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

प्रतिवेदन

अध्याय एक

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित 'गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ (क्यूसीसी)' विषय पर समिति (17 वीं लोकसभा) के बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

1.2 बीसवां प्रतिवेदन 19.07.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और 07.04.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया। इसमें 7 सिफारिशें/टिप्पणियां थीं, प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी 7 सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई उत्तर प्राप्त हो चुके हैं और इन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:-

(एक) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है :
सिफारिश सं. : 1, 2, 5, 6 और 7

(अध्याय दो, कुल: 5)

(दो) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में समिति, सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती
सिफारिश सं. : 4

(अध्याय तीन, कुल: 1)

(तीन) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं
सिफारिश सं. : शून्य

(अध्याय चार, कुल: शून्य)

(चार) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्रतीक्षित हैं
सिफारिश सं. : 3

(अध्याय पांच, कुल: 1)

1.3 समिति आशा करती है कि सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन को अत्यधिक महत्व दिया जाएगा। समिति चाहती है कि अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई अंतिम कार्रवाई टिप्पण और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तर, जिसके संबंध में सरकार द्वारा केवल अंतरिम उत्तर दिया गया है, समिति को शीघ्रता से प्रस्तुत किया जाए।

1.4 समिति अब कुछ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार करेगी।

गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठों द्वारा किया गया निरीक्षण

सिफारिश सं. 5

1.5 समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत् टिप्पणी/सिफारिश की थी:-

"समिति ने नोट किया कि गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठों (क्यूसीसी) के अधिकारियों द्वारा खाद्य भंडारण डिपो (एफएसडी) और उचित दर की दुकानों (एफपीएसएस) के निरीक्षण के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन के लिए खाद्यान्न का निरीक्षण किया जाता है। समिति ने यह भी नोट किया कि वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान एफएसडी में क्यूसीसी द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या क्रमश 1159, 940 और 641 थी, जबकि क्रमश 1140, 1140 और 1040 के लक्ष्य थे। कोविड महामारी/राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारणवर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। समिति इस बात से निराश है कि वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान उचित दर की दुकानों (एफपीएसएस) के निरीक्षण का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था और न ही उसका कोई निरीक्षण किया गया था। उक्त तीन वर्षों के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठों (क्यूसीसी) द्वारा एकत्रित किए गए और परीक्षण किए गए खाद्यान्न के नमूनों (गेहूं/चावल) की संख्या का ब्यौरा क्रमश: 3888, 2833 और 2855 था। समिति यह भी नोट करती है कि बुनियादी ढांचे से जुड़ी विभिन्न कमियों और निरीक्षण के दौरान पाए गए तकनीकी पहलुओं से जुड़ी कमियों पर भी ध्यान दिया जो खाद्यान्न की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। समिति महसूस करती है कि हमारे जैसे विशाल देश में जहां क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों के कारण भंडारण में नुकसान बहुत अधिक होता है और अंतिम लाभार्थियों को खाद्यान्न की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी निरीक्षण और नमूने के विश्लेषण की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और चूककर्ताओं के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

खाद्य भण्डारण डिपो (एफएसडी) उचित दर दुकानों (एफपीएसएस)के निरीक्षण के दौरान,पाई गई विसंगतियों/कमियों में व्यवस्थित सुधार करने के लिए भविष्य में संबंधित एजेंसियों को बताया जाता है ताकि इस प्रकार की किसी चूक की पुनरावृत्ति से बचा जा सके। इसके अलावा, समिति को यह नोट करके प्रसन्नता है कि विभाग भारतीय खाद्य निगम के सहयोग से खाद्यान्नों के गुणवत्ता आकलन के लिए नवीनतम तकनीकी हस्तक्षेप आरंभ करने की संभावनाएं तलाश रहा है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि विभाग को इस संबंध में खाद्यान्न सब्सिडी के भंडारण घाटे को कम से कम करने और देश के सरकारी खजाने और करदाता पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए जोरदार कदम उठाने/प्रयास करने चाहिए।"

1.6 मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत् बताया:-

"उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के भंडारण और अनुसंधान डिवीजन ने यह सुनिश्चित करना अधिदेषित किया है कि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से लाभार्थियों को अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्न प्रदान किए जाएं। इसके अनुसरण में, एस एंड आर डिवीजन के क्यूसीसी के अधिकारी/कर्मचारी भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों, केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी), राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी), चावल मिलें (आरएम) उचित दर दुकानों (एफपीएस), रेल हेड और ट्रक हेड आदि के विभिन्न खाद्य भंडारण डिपुओं

(एफएसडी) का निरीक्षण करते हैं। वर्ष 2018 के पूर्व, कोई संदर्भ/शिकायत प्राप्त होने पर ही उचित दर दुकानों का निरीक्षण किया जाता था। वर्तमान समय में, 2020 से एफपीएस के निरीक्षणों को लक्षित कार्यकलापों के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था।

यह उल्लेखनीय है कि ग्यारह क्यूसीसी में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी नियमित रूप से मासिक/औचक जांच करते हैं ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)/अन्य कल्याणकारी स्कीमों (ओडब्ल्यूएस) के जरिए वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों की गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। संज्ञान में आई अनियमितताओं/कमियों को परिशोधन करके और प्रणालीगत सुधारों के लिए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने हेतु संबंधित एजेंसियों को भेज दिया जाता है। इसके अलावा, निरीक्षण के दौरान पाए गए नॉन-एफएक्यू स्टाक की मात्रा के संबंध में एफसी एसी, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को भी सूचित किया जाता है ताकि सब्सिडी जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों के कारण हुई भंडारण हानियों की मात्रा को देखते हुए, निरीक्षण दौरों और नमूना विश्लेषण की बारम्बारता को बढ़ाया जाए। तथापि, प्रभावी रूप से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त स्टाफ उपलब्धता आवश्यक है।

इस संबंध में, यह डिवीजन प्राथमिकता आधार पर पदों का सृजन करने, पदोन्नति करने और नई भर्तियां करने की प्रक्रिया में है। खाद्यान्नों की भंडारण हानियों को न्यूनतम करने के प्रयास के रूप में, विभाग द्वारा भंडारित खाद्यान्नों के संबंध में भंडारण हानि/प्राप्ति के लिए पहले ही एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) का गठन किया गया है।"

1.7 अपने मूल प्रतिवेदन में, समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया कि लाभार्थियों को खाद्यान्न की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने और भंडारण हानियों को रोकने के लिए निरीक्षण और नमूना विश्लेषण में वृद्धि की जानी चाहिए। विभाग ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में बताया कि निरीक्षण दौरों और नमूना विश्लेषण में वृद्धि पर्याप्त कर्मचारियों की उपलब्धता के अनुसार होती है। इसे प्राप्त करने के लिए, विभाग पदों को पुनजिर्वित करने पदोन्नति और प्राथमिकता के आधार पर नई भर्ती की प्रक्रिया में है। विभाग ने यह भी सूचित किया है कि उन्होंने भंडारित माल के भंडारण हानि/लाभ के लिए पहले ही एक एसओपी तैयार कर ली है। समिति महसूस करती है कि निरीक्षणों और नमूना विश्लेषणों की संख्या बढ़ाने से खाद्यान्नों की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। समिति, अपनी मूल सिफारिश को दोहराते हुए चाहती है कि विभाग निरीक्षण और नमूना विश्लेषण की संख्या बढ़ाने के लिए पदों के पुनजिर्वित करने और नई भर्तियों की प्रक्रिया में तेजी लाए, जिससे अंतिम लाभार्थियों को अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जा सके और खाद्यान्न की भंडारण हानि को रोका जा सके।

अध्याय दो

टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सिफारिश सं. 1

2.1 समिति नोट करती है कि गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ (क्यूसीसी) प्रापण से लेकर वितरण तक केंद्रीय पूल के खाद्यान्न स्टॉक की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। अबतक, विभिन्न राज्यों में मात्र 11 गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठों की स्थापना की जा चुकी है जिनमें न्यूनतम 02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। समिति महसूस करती है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन के मद्देनजर क्यूसीसी की संख्या बहुत ही कम है जिसे देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है जिसके तहत जनसंख्या का बड़ा भाग अत्याधिक रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का हकदार है। अत: समिति और अधिक क्यूसीसी की स्थापना करने की सिफारिश करती है ताकि गुणवत्ता जांच/नियंत्रण के मुद्दे का व्यापक समाधान हो सके तथा क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों के कारण होने वाली हानि को रोका जा सके।

सरकार का उत्तर

2.2 1. "वर्तमान में 11 गुणवत्ता नियंत्रण-कक्ष (क्यूसीसी) नई दिल्ली, बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोलकाता, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, चेन्नई, गुवाहाटी और पटना में स्थित हैं जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्यरत हैं। खाद्यान्नों के इन कक्षों के अधिकारियों द्वारा खाद्य भंडारण डिपो, उचित दर दुकानों, चावल मिलों, रेल हेडों/ट्रक हैडों के नियमित निरीक्षण के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन हेतु निरीक्षण किया जाता है।गुणवत्ता के अतिरिक्त निरीक्षण के दौरान ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि खाद्यान्नों का उचित भंडारण और रखरखाव सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों/विनिर्देशों का अनुपालन भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगमों और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा किया जाए। इसके अतिरिक्त, ये कक्ष खरीद, भंडारण और वितरण के दौरान खाद्यान्नों की गुणवत्ता के बारे में माननीय संसद सदस्यों, वीआईपी, राज्य सरकारों, मीडिया और उपभोक्ताओं से प्राप्त विभिन्न शिकायतों को भी देखते हैं। निरीक्षण/जांच के दौरान प्राप्त विसंगतियों/कमियों को चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने सहित सुधारक उपायों के लिए संबंधित प्राधिकारियों को सूचित भी करते हैं।

2. एस एण्ड आर प्रभाग के अंतर्गत पहले से ही मौजूद 11 नियंत्रण-कक्ष स्टाफ की अत्यधिक कमी और अप्रचलित प्रयोगशाला उपकरणों के कारण अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करने में असमर्थ हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर पदों को सृजित करना पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रोन्नति और नई भर्ती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस विभाग ने स्टाफ के प्रशिक्षण के साथ-साथ अपग्रेडेशन और नई प्रद्योगिकियों/मशीनों और उपकरणों को शामिल करने के माध्यम से इन गुणवत्ता नियंत्रण-कक्षों और प्रयोगशालाओं की अवसंरचना को मजबूत करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं।

3. माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में यह घोषणा की थी कि भारत सरकार ने चरणबद्ध तरीके से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम -पोषण) और भारत सरकार की अन्य कल्याणकारी स्कीमों के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की अनुमति प्रदान कर दी है। इस

संबंध में फोर्टिफाइड राइस कर्नेल और फोर्टिफाइड चावल की गुणवत्ता वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह विभाग फोर्टिफाइड चावल (न्यूनतम/अधिकतम मानदंड) में जोड़े गए सूक्ष्म पोषक तत्वों में बदलाव की पहचान करने में समर्थ परिष्कृत/आधुनिक उपकरणों के साथ इन प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण कर रहा है।"

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
कार्यालय ज्ञापन सं.40-1/2021-क्यूसीसी/231 दिनांक: 19.10.2022]

सिफारिश सं. 2

2.3 समिति नोट करती है कि विभाग ने किसानों के साथ-साथ लाभार्थियों की चिंताओं/हितों को ध्यान में रखते हुए डीसीपी राज्यों के लिए संशोधित मानक परिचालन प्रक्रिया (आरएसओपी) तैयार की है। विभाग ने खरीद के समय खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया है।

आरएसओपी अभी भी राज्य सरकारों के पास विचाराधीन है। इसलिए, समिति विभाग से आरएसओपी को अंतिम रूप देने और इसे जल्द से जल्द लागू करने की सिफारिश करती है ताकि किसानों का समय पर भुगतान और गरीब लाभार्थियों को अच्छी गुणवत्ता का खाद्यान्न मिल सके।

सरकार का उत्तर

2.4 विकेन्द्रीकृत खरीद (डीसीपी) स्कीम के तहत खरीदे गए खाद्यान्नों के स्टाकों की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया है और इसका कड़ाई से अनुपालन करने के लिए इसे दिनांक 16.07.2021 को सभी हितधारकों को भेज दिया गया है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
कार्यालय ज्ञापन सं.40-1/2021-क्यूसीसी/231 दिनांक: 19.10.2022]

सिफारिश सं. 5

2.5 समिति ने नोट किया कि गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठों (क्यूसीसी) के अधिकारियों द्वारा खाद्य भंडारण डिपो (एफएसडी) और उचित दर की दुकानों (एफपीएसएस) के निरीक्षण के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन के लिए खाद्यान्न का निरीक्षण किया जाता है। समिति ने यह भी नोट किया कि वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान एफएसडी में क्यूसीसी द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या क्रमश 1159, 940 और 641 थी, जबकि क्रमश 1140, 1140 और 1040 के लक्ष्य थे। कोविड महामारी/राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारणवर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। समिति इस बात से निराश है कि वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान उचित दर की दुकानों (एफपीएसएस) के निरीक्षण का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था और न ही उसका कोई निरीक्षण किया गया था। उक्त तीन वर्षों के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठों (क्यूसीसी) द्वारा एकत्रित किए गए और परीक्षण किए गए खाद्यान्न के नमूनों (गेहूं/चावल) की संख्या का ब्यौरा क्रमश: 3888, 2833 और 2855 था। समिति यह भी नोट करती है कि बुनियादी ढांचे से जुड़ी विभिन्न कमियों और निरीक्षण के दौरान पाए गए तकनीकी पहलुओं से जुड़ी कमियों पर भी ध्यान दिया जो खाद्यान्न की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। समिति महसूस करती है कि हमारे जैसे विशाल देश में जहां क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों के कारण भंडारण में नुकसान बहुत अधिक होता है और अंतिम लाभार्थियों को खाद्यान्न की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी निरीक्षण और नमूने के विश्लेषण की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और चूककर्ताओं के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

खाद्य भण्डारण डिपो (एफएसडी) उचित दर दुकानों (एफपीएसएस)के निरीक्षण के दौरान,पाई गई विसंगतियों/कमियों में व्यवस्थित सुधार करने के लिए भविष्य में संबंधित एजेंसियों को बताया जाता है ताकि इस प्रकार की किसी चूक की पुनरावृत्ति से बचा जा सके। इसके अलावा, समिति को यह नोट करके प्रसन्नता है कि विभाग भारतीय खाद्य निगम के सहयोग से खाद्यान्नों के गुणवत्ता आकलन के लिए नवीनतम तकनीकी हस्तक्षेप आरंभ करने की संभावनाएं तलाश रहा है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि विभाग को इस संबंध में खाद्यान्न सब्सिडी के भंडारण घाटे को कम से कम करने और देश के सरकारी खजाने और करदाता पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए जोरदार कदम उठाने/प्रयास करने चाहिए।

सरकार का उत्तर

2.6 उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के भंडारण और अनुसंधान डिवीजन ने यह सुनिश्चित करना अधिदेषित किया है कि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से लाभार्थियों को अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्न प्रदान किए जाएं। इसके अनुसरण में, एस एंड आर डिवीजन के क्यूसीसी के अधिकारी/कर्मचारी भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों, केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी), राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी), चावल मिलें (आरएम) उचित दर दुकानों (एफपीएस), रेल हेड और ट्रक हेड आदि के विभिन्न खाद्य भंडारण डिपुओं (एफएसडी) का निरीक्षण करते हैं। वर्ष 2018 के पूर्व, कोई संदर्भ/शिकायत प्राप्त होने पर ही उचित दर दुकानों का निरीक्षण किया जाता था। वर्तमान समय में, 2020 से एफपीएस के निरीक्षणों को लक्षित कार्यकलापों के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था।
यह उल्लेखनीय है कि ग्यारह क्यूसीसी में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी नियमित रूप से मासिक/औचक जांच करते हैं ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)/अन्य कल्याणकारी स्कीमों (ओडब्ल्यूएस) के जरिए वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों की गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। संज्ञान में आई अनियमिताओं/कमियों को परिशोधन करके और प्रणालीगत सुधारों के लिए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने हेतु संबंधित एजेंसियों को भेज दिया जाता है। इसके अलावा, निरीक्षण के दौरान पाए गए नॉन-एफएक्यू स्टाक की मात्रा के संबंध में एफसी एसी, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को भी सूचित किया जाता है ताकि सब्सिडी जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों के कारण हुई भंडारण हानियों की मात्रा को देखते हुए, निरीक्षण दौरों और नमूना विश्लेषण की बारम्बारता को बढ़ाया जाए। तथापि, प्रभावी रूप से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त स्टाफ उपलब्धता आवश्यक है।\

इस संबंध में, यह डिवीजन प्राथमिकता आधार पर पदों का सृजन करने, पदोन्नति करने और नई भर्तियां करने की प्रक्रिया में है। खाद्यान्नों की भंडारण हानियों को न्यूनतम करने के प्रयास के रूप में, विभाग द्वारा भंडारित खाद्यान्नों के संबंध में भंडारण हानि/प्राप्ति के लिए पहले ही एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) का गठन किया गया है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
कार्यालय ज्ञापन सं.40-1/2021-क्यूसीसी/231 दिनांक: 19.10.2022]

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा सं. 1.7 देखें)

सिफारिश सं. 6

2.7 समिति नोट करती है कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान, क्रमश: 46, 142 और 78 नमूने खराब गुणवत्ता के पाए गए थे। सीडब्ल्यूसी के गोदामों में ऐसे नमूनों की संख्या क्रमश 25, 17 और 57 थी। सरकार ने समिति को

यह भी बताया है कि वर्ष 2018-19 के दौरान दोषियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई और 6 पर बड़े दंड और 55 पर लघु दंड लगाए गए थे। इसी तरह से वर्ष 2019-20 में, 3 बड़े और 63 लघु दंड और वर्ष 2020-21, में 02 बड़े और 103 लघु दंड लगाए गए थे। सीडब्ल्यूसी के संबंध में, प्रत्येक मामले की जांच की गई है और चूककर्त्ता अधिकारियों को दंडित किया गया। इस प्रकार प्राप्त स्टॉक के मामले में, गुणवत्ता की शिकायतें दर्ज की गई हैं और जमाकर्ताओं ने निस्तारण के लिए कदम उठाए हैं। समिति महसूस करती है कि दोषी अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें इस तरह की अनुचित क्षति के लिए जवाबदेही से नहीं बचना चाहिए क्योंकि भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सब्सिडी पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने के लिए राज्यवार एसओपी तैयार कर अपने मानक/चेकलिस्ट निर्धारित करनी चाहिए ताकि कर्मचारी बेहतर गुणवत्ता के खाद्यान्न की खरीद और इसके सुरक्षित भंडारण के मामले में अतिरिक्त सतर्क हो सकें ताकि सब्सिडी वाले खाद्यान्नों के संवितरण के लिए समुदाय के हित के लिए काम कर रहे इन सार्वजनिक निगमों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। समिति यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि भारतीय खाद्य निगम को परिचालन घाटे और अन्य उपरिव्यय को नियंत्रित करके परिचालन लागत को कम करने के निरंतर प्रयास करना चाहिए।

सरकार का उत्तर

2.8 पिछले 3 वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम में दर्ज की गई मार्गस्थ हानियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(मात्रा लाख टन में, मूल्य करोड़ रुपए में)

वर्ष	संचलित मात्रा	हानि की मात्रा	हानि का %	हानि का मूल्य
2019-20*	409.64	0.94	0.23	257.92
2020-21*	618.74	1.49	0.24	426.85
2021-22	604.32	1.40	0.23	398.22
2022-23 (प्रथम तिमाही)	150.30	0.38	0.25	113.45

(*लेखापरीक्षित आंकड़े दर्शाते हैं, वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं)

उपरोक्त आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि मार्गस्थ हानियों का प्रतिशत न्यूनतम स्तर पर बनाए रखा जा रहा है। पिछले 2 वर्षों के दौरान संपूर्ण अवधि में हानि की मात्रा और मूल्य में वृद्धि इसलिए हुई है कि एफसीआई ने कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) स्कीमों के तहत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 200 लाख टन से अधिक स्टॉक की ढुलाई की है। यद्यपि मौद्रिक संदर्भ में मूल्य में वृद्धि हुई है लेकिन प्रतिशत के संदर्भ में यह लगभग समान है। वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान हानियों को पूरा करने के लिए लागू उच्च दर के कारण मूल्य में भी वृद्धि हुई है।

मार्गस्थ हानियों (टीएल) को नियंत्रित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने निजी तौर पर प्रक्रिया और प्रयास शुरू किए हैं।

I. टीएल/गंतव्य कमियों की समीक्षा

i. प्रत्येक मासिक निष्पादन समीक्षा बैठकों के साथ-साथ विभिन्न स्तरों पर विशेष समीक्षा बैठकों में भी मार्गस्थ हानियों की अंचल-वार/क्षेत्र-वार/जिला-वार/डिपो-वार प्रवृत्ति की समीक्षा की जा रही है:-

क्र. सं.	स्तर पर समीक्षा	समीक्षा का स्तर	एमपीआर बारम्बारता
1	मुख्यालय	अंचल/ क्षेत्र	मासिक

2	अंचल	क्षेत्र/ डी.ओ.	
3	क्षेत्रीय	डी.ओ./ डिपो	
4	जिला	डिपो	

ii. 0.75 % से अधिक सभी मार्गस्थ हानियों की जांच करने के लिए मासिक आधार पर अनिवार्य रुप से संयुक्त सत्यापन (जेवी) टीम की तैनाती की जा रही है।

iii. रैकों के लदान और उठान के समय स्वतंत्र कंसाइनमेंट प्रमाणन दस्ता (आईसीसीएस) की तैनाती की जा रही है।

iv. लदान और उठान वाले स्टेशनों पर दोनों छोर पर विशेष औचक जांच की व्यवस्था की जाती है।

II. नियमित जांच/निरीक्षण की बारम्बारता में वृद्धि

i. कार्यकारी निदेशक (ईडी) अंचल और महाप्रबंधक (क्षेत्रीय) द्वारा क्रमश: अंचल और क्षेत्र की उच्चतम टीएल/गंतव्य कमी की जांच की जा रही है। यदि कार्यकारी निदेशक (अंचल) द्वारा एक क्षेत्र की उच्चतम टीएल की जांच की जाती है तब क्षेत्र की द्वितीय उच्चतम टीएल की जांच संबंधित महाप्रबंधक (क्षेत्र) द्वारा की जाएगी।

ii. अंचल के जीएम (एसएल/टीएल)/डीजीएम (एसएल/टीएल) विभिन्न क्षेत्रों के 3 मामलों की जांच कर रहे हैं और ऐसे 3 रैकों की लदान/उठान का पर्यवेक्षण भी कर रहे हैं, जहां पर टीएल की ऊंची प्रवृति की सूचना मिली है।

iii. अंचल कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, जिला कार्यालय स्तर पर मासिक चार्ट की जांच और रैकों का पर्यवेक्षण किया जा रहा है, जो निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**द्वारा आयोजित**	**टीएल जांच की संख्या**	**लदान/उठान के दौरान रैकों के पर्यवेक्षण की संख्या**
1	ईडी (अंचल)	1x5 = 5	
2	जीएम (आर) *	1x24 = 24	
1	अंचल स्तर पर जीएम/ डीजीएम	3x5 = 15	3x5=15
2	क्षेत्रीय कार्यालय	श्रेणी 1 अधिकारी द्वारा अधिकतम 5 से 10 टीएल डिपों	रैकों का 10% (आर. ओ. दस्ता द्वारा)
3	क्षेत्रीय कार्यालय के डीएम/एजीएम(क्यूसी)/ श्रेणी 1 अधिकारी		रैकों का 20% (यदि रैकों का आरटीएल >0.50% है) रैकों का 10% (यदि डिपो की आरटीएल प्रसार < 0.50% है)

(*कुल 26 क्षेत्र हैं, जिसमें से दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आरटीएल नहीं है)

iv. जम्मू व कश्मीर, एनईएफ, असम, अरूणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश क्षेत्र में सचल दस्ते की तैनाती की गई है, जहां पर हानियों की अधिक घटनाएं दर्ज की गईं थीं।

III. प्रशासनिक/अनुशासनात्मक कर्रवाई

i. 0.75% से अधिक टीएल के लिए संयुक्त सत्यापन किया जा रहा है और संयुक्त सत्यापन के बाद जो भी जिम्मेदार पाया जाता है उन दोषियों पर जवाबदेही तय की जाती है।

ii. कार्मिक, ठेकेदार और राज्य एजेंसियों पर 33.54 करोड़ रुपए (अप्रैल 2021 से मार्च, 2022 तक) की रिकवरी लगाई गई है, जिसमें से 14.10 करोड़ रुपए मार्गस्थ हानि से संबंधित है। वर्ष 2022-23 (1 तिमाही) के दौरान मार्गस्थ हानियों की एवज में कार्मिक, ठेकेदार और राज्य एजेंसियों से 1.81 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई है।

iii. वर्ष 2020-21 और 2021-22 (दिसम्बर 21 तक) के दौरान रेल मार्ग से संबंधित क्रमशः 227 और 343 कार्मिक दोषियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।

iv. जहां पर पिछले 6 माह से लगातार उच्चतम आरटीएल दर्ज की जा रही है, वहां पर डिपों के स्टाफ को रोटेट किया जा रहा है।

IV. क्रमिक परिवर्तन

i. डीओएस (डीपो ऑन लाइन सिस्टम) के जरिए रीयल टाइम आधार पर खाद्यान्नों के सम्पूर्ण संचलन की निगरानी की जा रही है।

ii. बिखरे हुए अनाजों को पुनः प्राप्त (एकत्रित) करने के लिए रेलवे बोगियों के फर्श पर पॉलीथेनिक शीट बिछाई जा रही है।

iii. डिपुओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

iv. छह जिलों में उच्च सुरक्षा सील का उपयोग करके एक प्रयोग किया जा रहा है ताकि मार्ग में चोरी से बचने के लिए रेलहेड पर मेडअप बैग एकार्ड के अलावा चोरी का भी ठीक से लेखा-जोखा रखा जा सके। इस संबंध में एक प्रयोग पूरा हो गया है और रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, अब इसे आगे सुधार के लिए देश भर में पुनः दोहराया जाएगा।

v. मुख्यालय के सतर्कता डिवीजन द्वारा बार-बार लगातार/औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्यालय के सतर्कता दस्ते द्वारा किए गए निरीक्षणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	मुख्यालय के सतर्कता दस्ते द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या
2019-20	76
2020-21	31
2021-22	69

वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान समूचे देश में फैली वैश्विक महामारी की स्थिति के कारण, उक्त अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय से कम दस्ते तैनात किए गए थे। तथापि, क्षेत्रीय स्तर की इकाईयों पर ही सभी अपेक्षित निरीक्षण किए जा रहे थे, ताकि प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सके। वर्ष 2022-23 में संवेदनशील डिवीजनों में औचक जांच करने के लिए साढ़े तीन महीनों में ही लगभग 47 दस्तों की तैनाती की गई है।

VI. क्षतिग्रस्त खाद्यान्न- जांच और जवाबदेही तय करना

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, प्रत्येक और सभी क्षतिग्रस्त खाद्यान्न के मामले में जांच की जाती है और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर जवाबदेही तय की जाती है। इसी प्रकार जिला वर्गीकरण समिति (डीसीसी) और क्षेत्रीय वर्गीकरण समिति (आरसीसी) की कार्रवाई के दौरान इसकी गहनता से जांच की जाती है।

<u>मार्गस्थ हानियों के कारण</u>

चूंकि देश में खाद्यान्नों के उत्पादन, खरीद और उपभोग में स्थानीय स्तर पर अंतर होता है इसलिए खरीद वाले क्षेत्रों में अधिशेष स्टाक की खरीद की जाती है और इस स्टाक को उपभोग वाले क्षेत्रों में अनिवार्यतया भेज दिया जाना होता है। खरीदे गए खाद्यान्नों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के तहत वितरण के लिए खरीद वाले क्षेत्रों से उपभोग वाले क्षेत्रों में मुख्यतया रेल द्वारा भेजा जाता है। रेल द्वारा खाद्यान्नों के संचलन के दौरान मार्गस्थ हानि के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं:

- मार्गस्थ के दौरान खाद्यान्नों में नमी सूखा- जब रैकों को भेजा जाता है, इसे गंतव्य तक पहुंचने में 7 से 8 दिन लगते हैं इस दौरान गर्मी का मौसम होने के कारण, स्टाक सूख जाते हैं और महत्वपूर्ण नमी सूखा में अंतर आ जाता है।
- भेजने वाले स्थान और प्राप्त करने वाले स्थान के बीच भार में अंतर - जब स्टाक को एक डिपो से भेजा जाता है, दोनों सिरों पर इलेक्ट्रानिक तुलाचौकी पर इसकी तौल होती है। एलडब्ल्यूबी में + 5 किलोग्राम का मानक अंतर है। 74000 थैलों के रैकों को ढोने की क्षमता के आधार पर लगभग 200 से 400 ट्रको में भेजा जाता है और प्रत्येक समय (भेजने और प्राप्त करने) पर इन ट्रकों की खाली भार और कुल भार लेने के लिए इनकी तौल की जाती है।
- मार्गस्थ के दौरान सूखी बोरियों का भार, गर्म मौसम के कारण नमी वाली बोरियों का सूखना
- लदान और उठान प्रचालनों के दौरान मल्टीपल हैंडलिंग
- हैंडलिंग के दौरान श्रमिकों द्वारा हुक का प्रयोग
- बोरियों आदि की खराब बनावट।

उपर्युक्त कारकों के कारण मार्गस्थ के दौरान कतिपय मात्रा की कमी आ जाती है, जो अपरिहार्य है। तथापि भारतीय खाद्य निगम द्वारा मार्गस्थ हानियों को नियंत्रित करने के लिए और इसे न्यूनत स्तर पर बनाए रखने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों के मार्गस्थ आंकड़े निम्नानुसार उल्लिखित किए गए हैं जो यह दर्शाते हैं कि मार्गस्थ हानियों में महत्वपूर्ण कमी आई है:

(मात्रा लाख टन में, मूल्य करोड़ रुपए में)

वर्ष	भेजी गई मात्रा	हानि की मात्रा	हानि का %	हानि का मूल्य
2012-13*	448.02	2.12	0.47	388.18
2013-14*	527.85	2.43	0.46	475.99
2014-15*	533.74	2.30	0.43	506.44
2015-16*	437.36	1.30	0.30	298.86
2016-17*	438.09	1.32	0.30	313.90
2017-18*	456.72	1.12	0.25	286.40
2018-19*	415.00	1.03	0.25	276.85
2019-20*	409.64	0.94	0.23	257.92
2020-21*	618.74	1.49	0.24	426.85
2021-22	604.32	1.40	0.23	398.22
2022-23 (प्रथम तिमाही)	150.30	0.38	0.25	113.45

(* लेखापरीक्षित आंकड़े दर्शातें हैं, वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं)

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
कार्यालय ज्ञापन सं.40-1/2021-क्यूसीसी/231 दिनांक: 19.10.2022]

सिफारिश सं. 7

2.9 समिति नोट करती है कि विभाग ने भंडारण हानि को दूर करने के लिए विभिन्न कदम उठाए/उपाय किए हैं। विभाग ने यह भी बताया है कि कवर्ड स्टोरेज क्षमता को जोड़ा गया है ताकि खाद्यान्नों को वैज्ञानिक रूप से शामिल किए गए ढके हुए भंडारण स्थलों में भंडार किया जा सके और 'कैप' भंडारण से पूरी तरह से बचा जा सके। समिति यह भी नोट करती है कि 'कैप' भंडारण क्षमता को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए, सरकार द्वारा खाका तैयार कर लिया है। पूरे देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन और लगातार बढ़ते खाद्य सब्सिडी बिल को देखते हुए,समिति पुरजोर रूप से सिफारिश करती है कि भंडारण घाटे को कम करने के लिए, 'कैप' भंडारण चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए शीघ्रता से कार्य शुरू करें ताकि गरीब लोगों के लिए निर्धारित हर एक पैसा उनके पास पहुंचे ।

सरकार का उत्तर

2.10 परम्परागत रूप से मुख्यतया खरीद क्षेत्रों में राज्य एजेंसियों/भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं का भंडारण कवर और प्लिंथ (कैप) में किया जाता है। तथापि, कैप की क्षमता को समाप्त करने के लिए एक नीति निर्णय लिया गया था। राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श के बाद भारतीय खाद्य निगम द्वारा एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई थी। कवर्ड क्षमता के सृजन का निर्णय भी लिया गया था ताकि भविष्य में कैप के प्रयोग करने की आवश्यकता न पड़े। भारतीय खाद्य निगम ने प्रस्तावित एक नई 5 वर्षीय गारण्टी स्कीम के अंतर्गत 117.75 लाख टन भंडारण क्षमता के सृजन का प्रस्ताव रखा था और यह विचाराधीन है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
कार्यालय ज्ञापन सं.40-1/2021-क्यूसीसी/231 दिनांक: 19.10.2022]

अध्याय तीन

सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति, सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

सिफारिश सं. 4

3.1 वर्ष 2021-22 में अनुदान मांगों की जांच करते हुए समिति ने पाया कि गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठों (क्यूसीसी) की योजना पर वर्ष 2021-22 के दौरान बजटीय आवंटन 738 करोड़ रुपये था। समिति नोट करती है कि पूरे देश में केवल 11 क्यूसीसी हैं। पूरे देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्नों की घटिया गुणवत्ता जिससे उनका नुकसान होता है, के कारण होने वाली क्षति को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में क्यूसीसी का गठन बहुत महत्वपूर्ण है। समिति का मानना है कि देश के गरीब लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को मजबूत करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए, समिति विभाग से पुरजोर सिफारिश करती है कि वह देश में और अधिक क्यूसीसी की स्थापना के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटन करने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाए।

सरकार का उत्तर

3.2 समूचे देश में कुल ग्यारह गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ (क्यूसीसी) कार्य कर रहे हैं। इन सभी क्यूसीसी के पास खाद्यान्नों की गुणवत्ता विश्लेषण के लिए इन-हाउस परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। तथापि, आगे भी गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ बनाने के क्रम में विभाग ने इन प्रयोगशालाओँ का चरणबद्ध रूप से उन्नयन करने के लिए पहले ही प्रयास शुरू कर दिया है। प्रथम चरण में तीन प्रयोगशालाओं नामत: कोलकाता, लखनऊ और हैदराबाद का उन्नयन किया जाएगा।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
कार्यालय ज्ञापन सं.40-1/2021-क्यूसीसी/231 दिनांक: 19.10.2022]

अध्याय चार

सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं

-शून्य-

अध्याय पांच

सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

सिफारिश सं. 3

5.1 समिति नोट करती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001, के अनुसार, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होता है कि भंडारण, परिवहन और वितरण श्रृंखला के दौरान, खाद्यान्नों की अपनी अपेक्षित आवश्यक गुणवत्ता बनी रहे। समिति इस बात से आश्चर्यचकित है कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों के भंडारण के संयुक्त निरीक्षण और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में क्यूसीसी की मौजूदगी के बावजूद लाभार्थियों को कम गुणवत्ता का खाद्यान्न मिलने की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। समिति महसूस करती है कि यह कुछ बिचौलियों का काम हो सकता है जिससे अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न अर्थात् गेहूं और चावल का विपथन हो जाता है और निर्धन लोगों को कम गुणवत्ता के खाद्यान्न मिलते हैं। कभी कभी लाभार्थी अपनी शिकायतों को संबंधित एजेंसियों को संप्रेषित नहीं करते हैं। समिति ने यह भी नोट किया है कि विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दूरभाष नम्बर 1967 और 1800 में 24 घंटे नि:शुल्क शिकायत निवारण पहले ही स्थापित किया जा चुका है। लेकिन समिति यह नोट करने के लिए बाध्य है कि हेल्पलाईन नम्बर लाभार्थियों को पेश आने वाली दिन-प्रतिदिन की समस्याओं के हल करने में सहायक नहीं है और सभी जानते हैं कि यह टोल फ्री नंबर प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं हेतु उत्तरदायी नहीं हैं और अधिकांश समय कॉल का प्राधिकारियों द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता है। इन हेल्प लाइन नम्बरों के उचित संचालन से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाब देही बढ़ेगी। अत: समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि विभाग को उचित दर की दुकानों पर स्वतंत्र औचक दौरा और निरीक्षण करना चाहिए या स्थिति का मूल्यांकन करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए कुछ अन्य स्वतंत्र एजेंसियों या सतर्कता समितियों को यह कार्य सौंपना चाहिए। समिति यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि उचित दर दुकानों की सीसीटीवी (एफपीएस) निगरानी, सरकारी सस्ते गन्ने की दुकानों (एफपीएस) पर पीडीएस मदों के संवितरण और विपथन की निगरानी के लिए भी मददगार साबित हो सकती है। इसलिए, समिति विभाग और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह भी आग्रह करती है कि वह इन हेल्प लाइन नम्बरों को कारगर बनाएं ताकि उन्हें निर्धन लाभार्थियों के हितों में प्रचालनात्मक/कार्यात्मक बनाया जा सके।

सरकार का उत्तर

5.2 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) में शिकायत निवारण, पारदर्शिता और जवाबदेही संबंधी प्रावधान निहित है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ दो स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र अर्थात जिला शिकायत निवारण अधिकारी (डीजीआरओ) और राज्य खाद्य आयुक्त (एसएफसी) शामिल हैं। यह अधिनियम राज्यों, जिलों, ब्लॉकों और उचित दर दुकानों के स्तर पर भी सतर्कता समितियों की स्थापना करने का प्रावधान करता है। सतर्कता समितियों से संबंधित प्रावधान को टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश 2015 में भी दोहराया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर सभी स्तरों पर समितियों का गठन करें और इनकी नियमित बैठकें आयोजित करें। सतर्कता समितियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी संबंधित स्तरों पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के कार्यों की आवधिक समीक्षा करें।

संपर्क करने, शिकायतों का निपटान करने और किसी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हेल्पलाईन नम्बर 1967/1800-राज्य सीरीज नम्बर कार्य कर रहे हैं। हेल्प लाईन नम्बर के कार्य को सुप्रवाही बनाने और निर्धन लाभार्थियों के हित में इन नम्बर के कार्यकरण/प्रचालन को ध्यान में रखते हुए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश 2015 के तहत निर्देश दिया गया है कि वे टॉल-फ्री हेल्प लाईन नम्बर सहित टीपीडीएस के तहत खाद्यान्नों की मात्रा और गुणवत्ता के सबंध में शिकायतों के निपटान के लिए तंत्र और प्राधिकारी को प्रदर्शित (डिसप्ले) करें। यह भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया है कि सूचना बोर्ड, कलर पेंटिंग के साथ टिन प्लेटों के बनाये जाने को वरीयता दी जाए, जिसमें लाभार्थी के अधिकार दर्शाए जाने के साथ-साथ, इस आदेश के खंड 10 (4) के तहत यथाउल्लिखित अन्य सूचनाओँ को सभी उचित दर दुकानों में मुख्यतया प्रदर्शित किए जाएं।

इसके अलावा, इस विभाग में व्यक्तिगत और संगठनात्मक सहित किसी भी स्रोत से और प्रेस रिपोर्ट के जरिए जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उन शिकायतों की जांच करने और उनकी तरफ से इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए उन्हें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को भेज दिया जाता है और विभाग को तत्काल सूचित कर दिया जाता है। 'आजादी का अमृत महोत्सव' समारोह के भाग के रूप में, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग लगभग 5000 उचित दर दुकानों (एफपीएस) का दौरा (विजिट) करने की शुरूआत कर रहा है। ये दौरे (विजिट) राज्य और केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए उचित दर दुकानों के कार्यकरण के वृह्द घटकों को शामिल करते हुए एक जांच सूची (चेक लिस्ट) के साथ ऑन लाइन पोर्टल का निर्माण किया गया है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित उचित दर दुकानों में सीसीटीवी स्थापित करने से संबंधित मामले को उनके साथ उठा रहा है। अब तक महाराष्ट्र में लगभग 7000 आईएसओ प्रमाणित उचित दर दुकानों में और दादरा व नगर हवेली तथा दमण व दीव संघ राज्य क्षेत्र की 38 उचित दर दुकानों में सीसीटीवी की लगाने का कार्य किया जा चुका है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
कार्यालय ज्ञापन सं.40-1/2021-क्यूसीसी/231 दिनांक: 19.10.2022]

नई दिल्ली;
23 मार्च,2023
2 चैत्र, 1945 (शक)

लॉकेट चटर्जी
सभापति,
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
संबंधी स्थायी समिति

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) की गुरुवार, 23 मार्च, 2023 को हुई ग्या2रहवींबैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 1500 बजे से 1 520 बजे तक समिति कक्ष संख्यार '3', ब्लॉ क-ए संसदीय सौध विस्तारस्नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती लॉकेट चटर्जी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. सुश्री देबाश्री चौधरी
3. श्री अनिल फिरोजिया
4. श्री खगेन मुर्मू
5. श्री मितेष पटेल (बकाभाई)
6. डॉ. अमर सिंह
7. श्रीमती हिमाद्री सिंह
8. श्री राजमोहन उन्नीथन
9. श्री वी. वैथीलिंगम
10. श्रीमती कविता सिंह

राज्य सभा

11. श्री सतीश चंद्र दूबे
12. डा. फौजिया खान
13. श्री बाबू राम निषाद
14. श्री सकलदीप राजभर

सचिवालय

1. श्री श्रीनिवासुलु गुंडा - संयुक्त सचिव
2. डॉ. वत्सला जोशी - निदेशक
3. डॉ. मोहित राजन - उप सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित 'गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्टा ' (क्यूसीसी) विषयक समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्टा टिप्प णियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने और स्वीषकार करने के लिए बुलाई गई बैठक में सदस्यों् का स्वारगत किया।

3. तत्पश्चाईत्, समिति ने, बीसवें प्रतिवेदन पर प्रारूप की गई कार्यवाही पर विचार करने हेतु लिया ।

4. समिति ने कुछ विचार विमर्श के पश्चाित् प्रारूप प्रतिवेदन को विना कोई संशोधन/परिवर्तन के स्वीशकार किया।

5. तत्पश्चापत् समिति ने माननीय सभापति को उपर्युक्तर प्रारूप प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने और प्रस्तुवत करने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पदश्चातत् समिति की बैठक स्थगित हुई।

****

परिशिष्ट-II

(देखिए प्रतिवेदन के प्राक्कथन का पैरा सं. 4)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) **के बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण।**

(सत्रहवीं लोक सभा)

(एक) सिफारिशों की कुल संख्या 7

(दो) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है :
पैरा सं.:- 1, 2, 5, 6 और 7

(अध्याय-दो, कुल-5)
प्रतिशत - 71.42%

(तीन) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती
पैरा सं.:- 4

(अध्याय-तीन, कुल-01)
प्रतिशत - 14.29%

(चार) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं
पैरा सं.:- शून्य

(अध्याय-चार, कुल- 0)
प्रतिशत - 0.00%

(पांच) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं
पैरा सं.:- 3

(अध्याय-पांच, कुल- 1)
प्रतिशत - 14.29%